पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ज़ोया रहमान एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5500)

[के साथ 2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1172]

9 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या राज्य सूचना आयुक्त (एस.आई.सी.) ने आवेदक को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का अपना निर्णय सही माना है?

हेडनोट्स

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005—धारा 19(8)—मुआवजा देने की शक्ति—याचिकाकर्ता के पिता ने याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति उपलब्ध कराने के लिए आरटीआई के तहत बोर्ड के नोडल अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया—लोक सूचना अधिकारी ने आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए—इसके बाद, याचिकाकर्ता के पिता ने उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील दायर की—यहां तक कि अपीलीय प्राधिकारी भी उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहे—याचिकाकर्ता के पिता ने मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत दूसरी अपील दायर की—राज्य सूचना आयुक्त ने याचिकाकर्ता को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और बोर्ड को आगे निर्देश जारी किया कि वह याचिकाकर्ता को आवश्यक जानकारी और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध न

कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित जांच शुरू करे और उनसे मुआवजा राशि वसूल की जाए—बोर्ड ने उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता के पिता को 5,00,000/- का मुआवजा दिया गया है। **अभिनिर्धारित:** पी.आई.ओ. और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से 2005 के अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने में देरी और लापरवाही - उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति की आपूर्ति के लिए आवेदन वर्ष 2017 में दायर किया गया था, और लगभग दो वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया - एस.आई.सी. को कानून की आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण 2005 के अधिनियम के तहत आवेदक को हुए नुकसान और हानि के लिए मुआवजा देने की शक्ति प्राप्त है - शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई के सिद्धांतों को पूरा करना चाहिए और इसमें प्रक्रियात्मक मनमानी के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए—एस.आई.सी. ने स्वयं ही मुआवज़ा देने की कार्यवाही की और बिना किसी आधार के मुआवज़े की राशि के रूप में 5,00,000/- रुपये ले लिए—आवेदक उपस्थित नहीं हुआ और मुआवज़ा देने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई, इसलिए, यदि आयुक्त की राय थी कि वह मुआवज़ा देने के मुद्दे पर स्वतः विचार कर सकते हैं, तो उन्हें इस मुद्दे पर बहस करने के लिए बोर्ड को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक था और साथ ही आवेदक को किसी भी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने का अवसर भी मिलेगा, जैसा कि आवेदक को मुआवज़े की एक विशेष राशि प्राप्त करने के लिए सलाह दी जा सकती है—आयुक्त द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई—एस.आई.सी. द्वारा आवेदक/रिट याचिकाकर्ता को स्वतः संज्ञान से 5,00,000/- रुपये का मुआवज़ा देने के आदेश को रद्द कर दिया गया—मुआवज़े के मुद्दे और उसकी मात्रा पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को एस.आई.सी. को वापस भेजा जा रहा है।

(पैराग्राफ 17, 19, 22 से 25)

न्याय दृष्टान्त

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड बनाम मोहम्मद समद खान, **आई.एल.आर. (2010) 6 डेल. 55;** डी.डी.ए. बनाम सुभाष चंदर, **2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 1820 - भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मुख्य शब्दों की सूची

मुआवजा देने की शक्ति; सूचना का अधिकार, मुआवजे की राशि, स्वप्रेरणा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, विलंब और कुंडी।

प्रकरण से उत्पन्न

एक आदेश जिसमें राज्य सूचना आयुक्त ने याचिकाकर्ता को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5500 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री सयैद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

मगध विश्वविद्यालय के लिए: श्री ओम प्रकाश कुमार, अधिवक्ता

बी एस ई बी के लिए : सुश्री नम्रता मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री कुमारेश सिंह, एस सी 28 के ए सी

(2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1172 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता; श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता; श्री कुमारेश सिंह, एस सी 28 के ए सी

रा.सू.आ. के लिए: श्री संजय कुमार घोसरवे, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 5 के लिए: श्री सैयद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5500

==========

ज़ोया रहमान, पिता- मो. हारून रशीद, निवासी- मवेशी हाट, रानीबाग, डाकघर- सिमरी बख्तियारपुर, थाना- बख्तियारपुर, जिला- सहरसा -852127।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
3. अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना।
4. परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना।
5. मगध विश्वविद्यालय, बोधगया अपने कुलसचिव के माध्यम से।
6. प्राचार्य-सह-मूल्यांकन निदेशक, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, गया।
7. राज्य सूचना आयोग सूचना भवन, चौथा तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1172

==========

1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने सचिव, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, थाना -कोतवाली, जिला-पटना के माध्यम से।

2. सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति , सिन्हा लाइब्रेरी रोड, थाना -कोतवाली, जिला-पटना।

3. प्रथम अपीलीय अधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (वरिष्ठ माध्यमिक), बुध मार्ग, पटना।

4. लोक सूचना अधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (वरिष्ठ माध्यमिक), बुद्ध मार्ग, पटना।

.....याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. राज्य सूचना आयोग अपने सचिव के माध्यम से, चौथी मंजिल, सूचना भवन, थाना -सचिवालय, बेली रोड, पटना।

2. सचिव, राज्य सूचना आयोग, चौथी मंजिल, सूचना भवन, थाना -सचिवालय, बेली रोड, पटना।

3. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार, राज्य सूचना आयोग, चौथी मंजिल, सूचना भवन, थाना -सचिवालय, बेली रोड, पटना।

4. उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, चौथा तल, सूचना भवन, बेली रोड, पटना।

5. हारून राशिद पिता अब्दुल हकीम निवासी गाँव -मवेशी हाट, रानी हाट, डाकघर -सिमरी, बख्तियारपुर, जिला-सहरसा, बिहार- 852127।

.....उत्तरदाताओं

==========

उपस्थिति :

(2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5500 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सयैद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

मगध विश्वविद्यालय के लिए : श्री ओम प्रकाश कुमार, अधिवक्ता

बी एस ई बी के लिए : सुश्री नम्रता मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री कुमारेश सिंह, एस सी 28 के ए सी

(2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1172 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता

श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता

श्री कुमारेश सिंह, एस सी 28 के ए सी

रा.सू.आ. के लिए : श्री संजय कुमार घोसरवे, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 5 के लिए : श्री सैयद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

दिनांक : 09-08-2023

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. जैसा कि प्रार्थना की गई है, एक-दूसरे से जुड़े दोनों रिट आवेदनों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2023 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 5500

3. यह रिट आवेदन, याचिकाकर्ता द्वारा एक परमादेश रिट की प्रकृति का रिट जारी कराने हेतू दायर किया गया है, जिसमें उत्तरदाताओं के द्वारा 25,00,000/- रुपये (केवल पच्चीस लाख रुपये) की संवर्धित मुआवज़े की राशि का भुगतान करने के लिए आदेश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (जिसे इसके बाद 'समिति' के रूप में संदर्भित किया गया है) की इंटरमीडिएट परीक्षा में वर्ष 2017 में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई विद्यालय , सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा से भाग लिया था। उसे रिट आवेदन के अनुलग्नक '2' में निहित 30.05.2017 दिनांकित अंकपत्र के माध्यम से 'विफल' घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पिता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'अधिनियम 2005' के रूप में संदर्भित) के तहत समिति के नोडल अधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्रदान करने के लिए एक आवेदन दायर किया, लोक सूचना अधिकारी (संक्षेप में 'लो.सू.अ.') ने आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान नहीं किए। याचिकाकर्ता ने 2005 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत समिति के अध्यक्ष के समक्ष उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्रदान करने के लिए अपील की, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण भी जानकारी प्रदान करने में विफल रहा।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंततः याचिकाकर्ता के पिता ने मुख्य सूचना आयुक्त, पटना के समक्ष 2005 के अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत दूसरी अपील दायर की, जिसे 2018 का मामला सं. ए 5718 के तहत दर्ज किया गया। समीति को अपना जवाब/कारण बताओ दाखिल करने का अवसर दिया गया और पक्षों की सुनवाई के बाद, राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 06.12.2019 के तहत यह माना कि याचिकाकर्ता को उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध न कराने के मामले में लो.सू.अ और तत्कालीन सहायक एवं अनुभाग अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई थी।

6. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, राज्य सूचना आयुक्त ने 2018 के केस संख्या ए 6799 में दिनांक 02.09.2019 के अपने पूर्व आदेश का हवाला दिया और आगे आपराधिक अपील सं. 420/2012 (सुरेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

के एक निर्णय का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया कि यद्यपि आवेदक ने मुआवजे की राहत के लिए प्रार्थना नहीं की है, वह स्वयं मुआवजा देने के लिए एक उचित आदेश पारित कर सकते हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने याचिकाकर्ता को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है और समिति को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को आवश्यक जानकारी और उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध न कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित जाँच शुरू करे और यह राशि उनसे वसूल की जाए।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि मुआवजे की राशि कम तय की गई है। राज्य सूचना आयुक्त को न केवल उसके शैक्षणिक जीवन के संदर्भ में, बल्कि 'अनुत्तीर्ण' घोषित किए जाने पर याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के कारण हुए नुकसान का भी आकलन करना था। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध न कराने से उसकी चिंता और बढ़ गई और इन सभी कष्टों के लिए याचिकाकर्ता कम से कम 25,00,000 रुपये के मुआवजे की हकदार थी।

2021 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 1172

8. इस आवेदन में समिति ने दिनांक 06.12.2019 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत सी डब्ल्यू जे सी सं. 5500/2023 में याचिकाकर्ता के पिता- आवेदक को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया है, जो वर्तमान रिट आवेदन में उत्तरदाता सं. 5 है।

समिति की ओर से प्रस्तुतियाँ

9. समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यबीर भारती ने शुरुआत में दलील दी है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लो.सू.अ. की ओर से देरी और अड़चनों का मामला है और वह 2005 के अधिनियम के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करने में

इस तरह की देरी और अड़चनों का बचाव नहीं करेंगे, लेकिन वह उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें राज्य सूचना आयुक्त (संक्षेप में 'रा.सू.आ.') ने 2005 के अधिनियम की धारा 19 (8) (बी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वतः आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े हैं।

10. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि विवादित आदेश से ही यह प्रतीत होता है कि आवेदक पिछली कई तारीखों से रा.सू.आ. के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था और यहां तक कि 06.12.2019 पर भी वह उपस्थित नहीं था। विवादित आदेश स्वीकार करता है कि उसके आवेदन में आवेदक ने किसी भी मुआवजे के लिए अनुरोध नहीं किया था, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुआवजे के मुद्दे पर विचार करने के लिए रा.सू.आ. के समक्ष कोई सामग्री नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2005 के अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (8) रा.सू.आ. को शिकायतकर्ता को हुए किसी भी नुकसान या अन्य नुकसान के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण से क्षतिपूर्ति की आवश्यकता करने का अधिकार देती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब शिकायतकर्ता रा.सू.आ. के संज्ञान में वास्तविक नुकसान, यदि कोई हो, उसे या किसी अन्य प्रकार के नुकसान को लाए।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुआवजे के आकलन या नुकसान के मामले में साक्ष्य का सख्त नियम लागू नहीं हो सकता है, लेकिन मुआवजे की घोषणा की आवश्यकता के बारे में रा.सू.आ. को संतुष्ट करने के लिए कुछ प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए और ऐसी सामग्री के संदर्भ में इसकी मात्रा तय की जानी आवश्यक है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि **एन.टी.पी.सी. लिमिटेड बनाम मोहम्मद समद खान** के

मामले में, जो **आईएलआर (2010) 6 डेल 55,** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय ने 2005 के अधिनियम की धारा 19(8)(बी) के तहत शक्ति के दायरे की जांच की है और यह माना है कि उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, केंद्रीय सूचना आयोग (संक्षेप में 'कें.सू.आ.') को उस व्यक्ति को हुए नुकसान की सीमा, यहां तक कि लगभग, का भी पता लगाना होगा, जिसे ऐसी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए थी। **डी.डी.ए. बनाम सुभाष चंदर** के मामले में एक अन्य निर्णय में, जो **2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 1820** में रिपोर्ट किया गया था, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय उस मामले की जांच कर रहा था जिसमें कें.सू.आ. ने उत्तरदाता संख्या 2 को 50,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था और, जिसे चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 19(8)(बी) के तहत, 2005 के अधिनियम का पालन न करने पर हुई हानि या क्षति पर मुआवजा दिया जा सकता है और यह आवेदक को उक्त कारण से हुई हानि या क्षति से संबंधित होना चाहिए।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने 2005 के अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण आवेदक और उसकी बेटी को हुए नुकसान को दर्शाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध कराए बिना ही 5,00,000/- रुपये की राशि स्वयं ही तय कर ली है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5500/2023 को खारिज किया जाना उचित है और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1172/2021 में दिया गया आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

14. रा.सू.आ. भी पेश हुए और उन्होंने विवादित आदेश का समर्थन किया है। यह उनका रुख है कि 2005 के अधिनियम की धारा 19 (8) (बी) उन्हें मुआवजा देने की शक्ति प्रदान करती है और इस मामले में विवादित आदेश संबंधित पक्षों को उचित अवसर देने के बाद एक विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश है, इसलिए उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2023 के आदेश के तहत इस न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन न करने पर लगाए गए 5,000/- रुपये के जुर्माने के भुगतान से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया गया है।

15. इस आवेदन में कहा गया है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पद 16.05.2022 से खाली है और चूंकि किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को रिट याचिका में जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए तथ्यों के बयान के अनुमोदन के संबंध में प्रशासनिक शक्तियां नहीं दी गई हैं, जिसमें बिहार राज्य सूचना आयोग एक उत्तरदाता पक्ष है, इसलिए जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जा सका है।

16. अंतरिम आवेदन में दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इसे स्वीकार करता है और आरोपित लागत निरस्त की जाती है।

<u>सोच-विचार</u>

17. याचिकाकर्ताओं, समिति और रा.सू.आ. के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेखों के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने पाया कि एक स्वीकार किया गया तथ्य है कि लो.सू.अ. और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से देरी और अड़चनें थीं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 2005 के अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति की आपूर्ति के लिए आवेदन वर्ष 2017 में दायर किया गया था और लगभग दो वर्षों तक इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।

18. समिति के विद्वान अधिवक्ता ने लो.सू.अ. का बचाव नहीं किया है और उन्होंने बार में स्वीकार किया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई यह समझ सकता है कि 2021 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 1172 में आवेदक-उत्तरदाता संख्या 5 उत्तर पुस्तिकाओं की

आपूर्ति के लिए लगभग दो साल तक प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह इसका अनुपालन प्राप्त नहीं कर सका। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को मामले के उपरोक्त पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए जो कुछ बचा है वह यह है कि क्या रा.सू.आ. ने अपने दम पर आवेदक को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा देने के लिए उचित कार्रवाई की है। 2005 के अधिनियम की धारा 19 (8) (बी) निम्नानुसार है :-

> "19. अपील-
>
> (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी निर्णय से व्यथित है, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर, प्रत्येक लोक प्राधिकरण में ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद का हो: बशर्ते कि ऐसा अधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।
>
> (2) .....
>
> (3) .....
>
> (4) .....

(5) .....

(6) .....

(7) .....

(8) अपने निर्णय में, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं-

(ए).....

(i).....

(iii).....

(iv).....

(v).....

(v).....

(ख) सार्वजनिक प्राधिकरण को शिकायतकर्ता को हुए किसी भी नुकसान या अन्य हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है;'"

19. उपरोक्त प्रावधान को केवल पढ़ने मात्र से, यह न्यायालय आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि रा.सू.आ. के पास कानून की आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण 2005 के अधिनियम के तहत आवेदक को हुए नुकसान और नुकसान के लिए मुआवजा देने की शक्ति निहित है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि उस शक्ति का उपयोग कैसे और किस तरह से किया जाना चाहिए। शक्ति निहित होना एक बात है, शक्ति का प्रयोग

दूसरी बात है। शक्ति के प्रयोग को स्वाभाविक न्याय और कार्रवाई में निष्पक्षता के सिद्धांतों को संतुष्ट करना चाहिए और इसमें प्रक्रियात्मक मनमानेपन के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

20. समिति की ओर से उद्धृत दो निर्णयों में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 19(8)(बी) की आवश्यकताओं पर संक्षेप में विचार किया है। यह न्यायालय एन.टी.पी.सी. लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से अनुच्छेद '17' को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करता है:-

> "**17.** धारा 19 (8) (बी) के तहत शक्ति का दायरा आम तौर पर धारा 19 के तहत कें.सू.आ. की शक्तियों के दायरे और धारा 19 (1) से (8) के संदर्भ में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया जाना है। धारा 19 (8) (बी) के तहत देय मुआवजा आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी से इनकार के कारण "किसी भी नुकसान या अन्य नुकसान के लिए" है, न कि केवल आवेदक को हुए किसी नुकसान या नुकसान के बारे में। वर्तमान मामले के संदर्भ में यदि कें.सू.आ. ने पाया कि प्रतिवादी को एनटीपीसी द्वारा अनुचित रूप से उसके द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार किया गया था, तो कें.सू.आ. का अगला कदम यह निर्धारित करना था कि सूचना देने से इनकार करने के कारण प्रतिवादी को कितना नुकसान हुआ। इसके बाद वह प्रतिवादी को हुए नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है। वर्तमान मामले में, कें.सू.आ. द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि एन. टी. पी. सी. ने अपने अभिलेखों में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट दी थी जिसे उसने उत्तरदाता को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया था। कें.सू.आ. के

लिए इस तरह की जानकारी से इनकार करने के कारण प्रत्यर्थी को हुए नुकसान का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ने के लिए यह तथ्यात्मक निर्धारण आवश्यक था। इसके बाद आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 19 (8) (बी) के तहत मुआवजा देना कें.सू.आ. के विवेकाधिकार में था। उस शक्ति का प्रयोग करते समय भी कें.सू.आ. को इस बात पर निष्कर्ष निकालना होगा कि नुकसान की सीमा, यहां तक कि लगभग, उस व्यक्ति को भी हुई है जिसे ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 19 (8) (बी) के तहत जो मुआवजा दिया जाना है, वह "ऐसी जानकारी से इनकार करने के कारण" हुए नुकसान या क्षति के लिए है, न कि केवल ऐसे व्यक्ति को हुए किसी नुकसान या नुकसान के लिए। वर्तमान मामले में कें.सू.आ. द्वारा ऐसा कोई निर्धारण नहीं है।

21. डी. डी. ए. (उपरोक्त) के मामले में दिए निर्णय की कंडिका '8' इस प्रकार है:-

"**8.** दूसरी ओर, उत्तरदाता सं. 2 ने अपने जवाब में आरोप लगाया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (बी) के तहत 50,000/- रूपए का मुआवजा दिया गया है। आक्षेपित आदेश में ऐसा नहीं कहा गया है। इसके अलावा, धारा 19 (8) (बी) के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के लिए हुए नुकसान या हानि के लिए मुआवजा दिया जा सकता है और यह उक्त खाते में आवेदक को हुए नुकसान या क्षति से संबंधित होना चाहिए। यह नुकसान और क्षति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किए गए आवेदन और प्रतिवादियों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने में विफलता के कारण

हुई होगी। विवादित आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उक्त मापदंडों को ध्यान में रखा गया था और किस आधार पर मुआवजा दिया गया है।

22. उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि और धारा 19(8)(बी) के दायरे और दायरे पर चर्चा के बाद, जब यह न्यायालय विवादित आदेश का परीक्षण करता है, तो यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रा.सू.आ. ने अपने दम पर मुआवजे का आदेश देने के लिए कदम उठाया है और बिना किसी आधार के 5,00,000/- रुपये की राशि मुआवजे के रूप में ली है।

23. इस मामले में आवेदक उपस्थित नहीं हो रहा था और मुआवजा देने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, इसलिए, यदि आयुक्त की राय थी कि वह स्वतः संज्ञान लेकर मुआवजे के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं, तो उन्हें इस मुद्दे पर बहस करने के लिए समिति को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक था और साथ ही आवेदक को भी किसी भी सामग्री को अभिलेख पर रखने का अवसर मिलता, जो आवेदक को किसी विशेष राशि के मुआवजे की मांग करने के लिए सलाह दी जा सकती है। आयुक्त द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

24. इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय विवादित आदेश को इस सीमा तक निरस्त करता है जिसके अंतर्गत रा.सू.आ. ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आवेदक/रिट याचिकाकर्ता को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया है।

25. इस स्तर पर, यह न्यायालय इस तर्क के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगा कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, रा.सू.आ. स्वतः संज्ञान लेकर मुआवजा देने की कार्यवाही कर सकते है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि मामला रा.सू.आ. को मुआवज़े और उसकी राशि के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए भेजा जा

रहा है। दोनों पक्षों को आज से चार सप्ताह के भीतर राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने और अपना-अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता होगी, जिसके बाद उनकी सुनवाई होगी और राज्य सूचना आयुक्त पक्षों की उपस्थिति की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर एक उचित आदेश पारित करेंगे।

26. परिणामस्वरूप, 2023 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 5500 इस स्तर पर खारिज की जाती है। 2021 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1172 को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)

तुषारिका/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।